संख्या-344/2017/2321/22-2-2016-17(62)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमृत लाल पुत्र श्री मुन्नी पासी, निवासी जनपद-मिर्जापुर की 14 वर्षीय नामिनल रौल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44183/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 17-11-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 15-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अमृत लाल पुत्र श्री मुन्नी पासी, ग्राम-धराधनपुर, थाना-लालगंज, जनपद-मिर्जापुर का निवासी है। पूर्व में हुयी फूलवारी के भाई की हत्या को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26.12.1995 को अपरान्ह लगभग 04.30 बजे बम से हमला कर देसी पिस्तौल से गोली मार कर दूधनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-133/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,148,147 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-प्रथम, मिर्जापुर के आदेश दिनांक 27.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.12.2012 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.10.2016 तक 15 वर्ष 08 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 04 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। प्रकरण के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी/मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-6, मिर्जापुर से प्राप्त अभिमत दिनांक 29.09.2016 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि बन्दी एक अभ्यस्त अपराधी है। उसके द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं उसके विरूद्ध इलाहाबाद व मिर्जापुर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बन्दी की समयपूर्व रिहाई से समाज पर गलत प्रभाव पडेगा। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई उचित प्रतीत नहीं होती है। सलाहकार समिति का अभिमत है कि पूर्व में हुयी फूलवारी के भाई की हत्या को लेकर चल रही रंजिश के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 26.12.1995 को अपरान्ह लगभग 04.30 बजे बम से हमला कर देसी पिस्तौल से गोली मार कर दूधनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर की आख्यानुसार बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना है एवं पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमृत लाल पुत्र मुन्नी पासी को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी अमृत लाल (बन्दी संख्या-407/05) पुत्र श्री मुन्नी पासी, निवासी जनपद-मिर्जापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-344/2017/2321/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।